दिनांक 27.07.2013 को उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए. द्वारा आहूत जे.आर.डी.ए. से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक आरम्भ करते हुए उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक ने सर्वे में हुई प्रगति के साथ–साथ अन्य विषयों पर जे.आर.डी.ए. से जानकारी माँगी। सर्वे के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी (आर० एण्ड आर०) द्वारा सूचना दी गई कि सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। मात्र अगस्त माह में चार हजार परिवारों का सर्वे हुआ है। उपायुक्त का निदेश हुआ कि तीन माह के अन्दर सर्वे कार्य को पूर्ण कर दिया जाय, साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सर्वे से संबंधित सभी सूचना जे.आर.डी.ए. के Website में डाला जाय। यह कार्य श्री महेन्द्र नारायण सिंह, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से किया जाय।

भू–अर्जन के मामले में विचार–विमर्श के पश्चात् उपायुक्त का निदेश हुआ कि बी.सी.सी.एल. से प्राप्त 850 एकड़ भू–भाग को छोड़कर अन्य भू–अर्जन वादों में तेजी लाई जाय। प्रभारी भू–अर्जन ने अपनी बात रखते हुए उपायुक्त को बताया कि छोटे–छोटे टाउनशिप विकसित करने के लिए कतिपय ग्रामीणों से सम्पर्क किया गया है और इसका उत्साहजनक परिणाम मिला है। उपायुक्त का निदेश हुआ कि ऐसे स्थलों का निरीक्षण कर चिन्हित कर दिया जाय।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि जे.आर.डी.ए. का कुछ भू–अर्जन वाद कालातीत होने वाला है और कुछ वादों में विसंगतियाँ भी है। उपायुक्त ने आदेश दिया कि कालातीत हाने वाले भू–भाग को शीघ्र जे.आर.डी.ए. को लौटा दी जाय ताकि जे.आर.डी.ए. पुनः इससे संबंधित अधिचायना कर सके। उपायुक्त के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को यह भी आदेश दिया गया कि जे.आर.डी.ए. से अभी तक प्राप्त राशि का लेखा–जोखा उसे शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रभारी भू–अर्जन, जे.आर.डी.ए. ने बताया कि अंचल बलियापुर में अवस्थित मौजा आमागाढा में 47 एकड़ भूमि का भू–अर्जन/भू–हस्तान्तरण हेतु चिन्हित किया गया है तथा इसमें कुछ भू–धारकों से बातचीत करने पर उन्होंने भूमि देने हेतु सहमति प्रदान की है। उपायुक्त का निदेश हुआ कि इसे भू–अर्जन की कार्रवाई हेतु रखा जाय। मौजा पाकड़बेडा के बारे में बताया कि मौजा पाकडबेड़ा स्थित जमीन का जे.आर.डी.ए. द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है। यह मौजा मोहनपुर, (अंचल तोपचाँची) के पास ही अवस्थित है तथा आवासीय कॉलोनी हेतु उपयुक्त भी है। इसमें अधिकांश परती एवं टाँड़ भूमि है परंतु यह भूमि बी.सी.सी.एल. द्वारा अपने लिये मास्टर प्लान में चिन्हित कर रखा गया है। उपायुक्त का निदेश हुआ कि इस भू–भाग को बी.सी.सी.एल. से विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय। बी.सी.सी. एल. से विमुक्त होने के उपरान्त इसके अर्जन की कार्रवाई की जाय।

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्र के आलोक में उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि अगले तीन माह का कार्य सूची शीघ्र तैयार किया जाय।

09/02/17

उपायुक्त, धनबाद

–सह–

प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए. धनबाद।